राजस्थानसरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, राजस्थान जयपुर
दूरभाष : 0141–2741687, 2740694 फेक्स : 2740678
ई–मेल : dir-pen-rj@nic.in

क्रमांक : प.5(180)निपेनि/नियम/87 दिनांक :

शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– विभिन्न निगम/बोर्ड इत्यादि से सेकेण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापित कार्मिकों को विभागीय आदेश दिनांक 02.10.2010 के द्वारा पंचायत समिति में ग्राम सेवकों के पदों पर समायोजित करने के बाद सेवानिवृति पर पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपका ध्यान संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग के पत्र संख्या प.12 (2) वित्त/नियम/2014 दिनांक 09.12.2014 (प्रति संलग्न) की ओर आर्कषित किया जाता है। उक्त पत्र में विषयोक्त ग्राम सेवकों को पेंशन की देयता की जांच कर प्रस्ताव भेजने हेतु पंचायती राज विभाग स्तर पर वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के मत/प्रस्ताव पर वित्त (नियम) विभाग की सहमति प्राप्त होने पर तदानुसार पेंशन प्रकरण तैयार किया जाना है। आपसे अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा की गई इस व्यवस्था की जानकारी उन सभी कार्यालयों को भिजवायी जावें जिनमें प्रासंगिक आदेश दिनांक 02.10.2010 के अन्तर्गत ग्राम सेवकों का समायोजन किया गया है तथा निर्देशित किया जावें कि ऐसे सेवानिवृत ग्राम सेवकों का विवरण उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि उक्त समिति द्वारा विचार कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाकर स्वीकृति प्राप्त की जा सके। राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व पेंशन विभाग को ऐसे कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण नही भिजवाने हेतु भी निर्देशित करावें।

भवदीय

Sd/-
(के.के. गैडियोक)
निदेशक

क्रमांक : प.5(180)निपेनि/नियम/87/1036-1285 H दिनांक : 02-06-2015

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर।
2. सहायक निदेशक, पी.आर. 7, अनुभाग पेंशन विभाग, जयपुर।
3. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति ....

(के.के. गैडियोक)
निदेशक